राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली / 2017–18 / 71 / 262 दिनांक : 15/9/2017

–:: कार्यालय आदेश ::–

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश क्रमांक एफ.3(1201)नविवि / 3 / 2012 पार्ट दिनांक 20.05.2017 एवं संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश क्रमांक प. 3(1201)नविवि / 3 / 2012 पार्ट दिनांक 01.09.2017 के द्वारा आदेश जारी किये गये है, उन आदेशों की मण्डल स्तर पर भी पूर्ण पालना करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम / द्वितीय / तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव– मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव / वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम / द्वितीय / तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त .... राज. आवा. मं., ...
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राज. आवा. मं., ...
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) .... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
15. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

D:\Recover Cell\pOffice Order.rtf

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप 3(1201)नविवि / 3 / 2012पार्ट जयपुर,दिनांकः 01 SEP 2017

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषयः—ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. के पूर्व आवंटित आवास दिनांक 01.01.2001 को नियमन करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. के दिनांक 01.01.2001 के पश्चात आवंटित आवासों में ब्याज व पैनल्टी पर छूट दी गई थी। दिनांक 01.01.2001 से पूर्व आवंटित आवासों के नियमन करने बाबत् दिनांक 01.01.2001 की आरक्षित दर लेते हुए नियमन करने के आदेश कमांकः एफ.3(1201)नविवि / 3 / 2012पार्ट दिनांक 20.05.2017 को जारी किये गये थे। उक्त आदेश राजस्थान आवासन मण्डल पर यथावत प्रभावी है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अर्जुन राम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः एफ.3(1201)नविवि/3/2012पार्ट

20 MAY 2017

जयपुर,दिनांकः– 20-5-2017

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु एतदद्वारा निम्न आदेश प्रदान किये जाते है :–

(1) बजट वर्ष 2017–18 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई घोषणा के क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(1201)नविवि/3/2012 दिनांक 09.03.2017 से ई.डब्ल्यू. एस./एलं.आई.जी. के आवंटित आवासों के दिनांक 01.01.2001 से बकाया राशि दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराने जाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत–प्रतिशत छूट दी गई है।

इस संदर्भ में नगर विकास न्यासों द्वारा दिनांक 01.01.2001 से पूर्व के आवंटित आवासों के नियमन करने बाबत नियमन/बहाली बाबत आदेश चाहे है।

इस संदर्भ में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवंटित आवासों बाबत दिनांक 01.01.2001 के पूर्व के प्रकरणों में उनके नियमन/बहाली मौके पर आवंटी का कब्जा होने व दिनांक 01.01.2001 को उन आवासों पर लगने वाली राशि की गणना कर जमा कराने पर उनका आवंटन बहाल किया जावे। इसका आशय यह है कि 2001 में यदि आवास का आवंटन होता उस स्थिति में जो राशि लगती, उसी राशि को नियमन/बहाली का आधार माना जावे। मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके समस्त विधिक उत्तराधिकारियों के नाम यह नियमन/बहाल किया जा सकता है।

(2) वर्तमान में भूखण्डों के उपविभाजन/पुर्नगठन हेतु 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल भूमि होने पर प्रकरण राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। इस प्रकिया में समय लगने के कारण ऐसे प्रकरणों का निस्तारण मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना अवधि में किया जाना संभव नही होने के कारण उपविभाजन/ पुर्नगठन के 3000 वर्ग मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर गठित एम्पावर्ड कमेटी के स्तर पर ही किये जा सकेगें ताकि उपविभाजन/पुर्नगठन संबंधित प्रकरणों का निस्तारण मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों की अवधि में ही किया जावे।

(3) राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियमों के अन्तर्गत प्राधिकरण/न्यास द्वारा आवंटित/निलामी में विकय किये भूखण्डों पर निर्धारित अवधि में निर्माण नही होने पर निरस्त होने का प्रावधान है।

ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31.12.2017 तक निर्धारित राशि जमा करायी जाकर निर्माण अवधि प्राधिकरण/न्यास स्तर पर बढायी जावे।

(4) प्राधिकरण/न्यास की योजनाओं में आवंटन के पश्चात पट्टा जारी होने से पूर्व ही फ्लेट अथवा भूखण्ड का विक्रय कर दिया जाता है। ऐसे प्रकरणों में अंतिम केता से आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पेनल्टी के रूप में लेकर पट्टा जारी करने की छूट प्रदान की जाती है।

(5) दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी आवासीय योजनाएं जिनमें 10 प्रतिशत से कम निर्माण था परन्तु वर्तमान में उनमें निर्माण 10 प्रतिशत से अधिक है ऐसी योजनाओं में यह सुनिश्चित करते हुए कि आवासीय योजना दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की है तथा वर्तमान में निर्माण 10 प्रतिशत से अधिक है ऐसी कालोनियों को नियमित किया जावे।

उक्त निर्णय सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

29/5/17
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है–

(1) विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
(2) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
(3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
(4) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
(5) सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
(6) समस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास।
(7) निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
(7) संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(8) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(9) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(10) वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोर्ड करने हेतु।
(11) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(11) रक्षित पत्रावली।

29/5/17
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम